तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद/प्रकरण नं. ___ / ___ बनाम
06/1/16	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ वकील वादी की प्रा.पत्र धारा 42 RTA [illegible] बाबत खारिज की। प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाता है। विद्युत सचिव [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 125 / 2024

1. मेवानाथ पुत्र जेठूनाथ दत्तक पुत्र चन्द्रनाथ उम्र करीबन 65 वर्ष जाति नाथ (जोगी) निवासी ग्राम जोगीयों का नाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

2. शान्ति देवी पत्नि मेवानाथ जाति नाथ (जोगी) उम्र करीबन 62 वर्ष निवासी ग्राम जोगीयों का नाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेशनाथ पुत्र रतननाथ
2. गीता देवी पत्नि गंगानाथ
3. जनता देवी पुत्री रतननाथ
4. नेराज देवी पुत्री रतननाथ
5. प्रतापनाथ पुत्र सायरनाथ
6. परमेशनाथ पुत्र रतननाथ
7. फोरन्ता पुत्री रतननाथ
8. महेन्द्रनाथ पुत्र गंगानाथ
9. मोतीनाथ पुत्र जेठूनाथ
10. मोनू पुत्री रतननाथ
11. रमता पुत्री गंगानाथ
12. रमेशनाथ पुत्र रतननाथ
13. राजूनाथ पुत्र गंगानाथ
14. नारूनाथ पुत्र लालानाथ
15. गीता देवी पत्नि रोडूनाथ
16. कज्जी देवी पत्नि घासीनाथ
17. चौथी पत्नि हाथीनाथ
18. नन्दू पुत्री घीसानाथ
19. नन्दलालनाथ पुत्र घीसानाथ
20. नोरती देवी पत्नि निम्बानाथ
21. पुसी देवी पुत्री बिरदानाथ
22. बाबूनाथ पुत्र घीसानाथ
23. भंवरी देवी पत्नि बिशनाथ
24. मोहननाथ पुत्र बिरदानाथ
25. रणजीतनाथ पुत्र घीसानाथ
26. सन्तोष पुत्री घीसानाथ
27. सम्पती पुत्री घीसानाथ
28. हरचन्दनाथ पुत्र घीसानाथ
29. हरजीनाथ पुत्र बिरदानाथ

सर्व जाति नाथ (जोगी) सर्व निवासी ग्राम जोगीयों का नाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

30. युनियन बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
31. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
32. युनियन बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
33. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उपपंजीयक, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर दिनांक 06.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वभाविक है इस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह–खातेदारी कि आराजी ग्राम जोगीयो का नाड़ा पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है जो निम्न प्रकार से है कि (अ) खाता संख्या नया 45 के वर्तमान खसरा नम्बर 180 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1214 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4288 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक पिता से प्राप्त 4/9 हिस्सा व दत्तक पिता से प्राप्त 1/9 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 2/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/252 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/252 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 2/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 का 1/252 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 का 1/36 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 का 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 1/252 हिस्सा. अप्रार्थी संख्या 11 का 1/36 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 का 2/63
हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 13 का 1/36 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।
(ब) खाता संख्या नया 102 के वर्तमान खसरा नम्बर 305 रकबा 1.3834 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 14 का 809/13834 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 15 का 3054/6917 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।
(स) खाता संख्या 82 के वर्तमान खसरा नम्बर 158 रकबा 2.1519 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, व अप्रार्थी संख्या 16 का 29/2160 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 17 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 18 का 29/2160 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 19 का 29/2160 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 20 का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 21 का 1/90 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 22 का 29/2160 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 23 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 24 का 29/2160 हिस्सा. अप्रार्थी संख्या 25 का 29/2160 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 26 का 29/2160 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 27 का 29/2160 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 28 का 29/2160 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 29 का 29/2160 हिस्सा अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 के द्वारा नींव, सींव, मेड़ बाबत् आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 एवं प्रार्थीगण के बिच सामाजिक सम्बन्ध खराब होने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 द्वारा आये दिन मौके को लेकर विवाद उत्पन्न करते है एवं प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को वर्णित आराजी का बिना विधिक बंटवारा किये बिना अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने कि ऐलानिया धमकियां देते हैं एवं प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 का अवैध कृत्य को रोका जाना अतिआवश्यक हैं इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थीगण के काबिज हिस्से में कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, एवं वर्णित हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत नही करे। प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करें एवं बिना विधिक विभाजन किये वर्णित आराजी का अन्य दिगर व्यक्ति/अजनबी व्यक्ति को वैचान, हस्तानान्तरण, रहन नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उपरोक्त आराजी का अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में विधिक विभाजन नहीं होने से आराजी में बुवाई जुताई, हकाई, निराई, गुडाई, के समय मेड, नींव, सींव को लेकर मनमुटाव हो जाता है जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो जाता है जिससे सामाजिक समरसता का विघटन होता है, माननीय न्यायालय के समक्ष विभाजन / बंटवारे कि डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे प्रार्थी का अलग से राजस्व ट्रेस में निहित हिस्से कि तरमीम एवं खसरा, रकबा, एवं जमाबन्दी होने से विवाद उत्पन्न नहीं होगा इसी कारण विभाजन का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (ठल उपजमे – ठवनदक) के सिद्धान्त के आधार पर एवं सभी सह–खातेदार के लिए अपने–अपने हिस्से में जाने के लिए रास्ता दर्शित करते हुए अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में अलग–अलग विधिक विभाजन होकर अलग–अलग तरमीम, रकबा, खसरा, लगान अलग–अलग करते हुये सभी काश्तकारो का अपने अपने हिस्से में आने–जाने के रास्ता दर्शित करते हुये विभाजन की डिक्री पारीत किये जाने के आदेश प्रदान करावें, अप्रार्थी संख्या 33 व 34 भू–धारी होने से विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार है चूंकि भू–धारी होने से माननीय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज किया जाता है, एवं अप्रार्थी संख्या 30 से 32 के अधीन उपरोक्त आराजीयात रहन होने से पक्षकार संयोजित किया गया है, जमाबन्दी में दर्ज खातेदार अनुसार पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चूंकि प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 द्वारा अवैध रूप से प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर बिना विधिक विभाजन के विशिष्ट हिस्से का अजनबी क्रेता को बैचान करने पर आमादा है एवं अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है अप्रार्थीगण अपने अवैध मन्सुर्वे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह–खातेदारी कि आराजी ग्राम जोगीयो का नाड़ा पटवार हल्का सरगांव तहसील किशनगढ़ के खाता संख्या नया 45 के वर्तमान खसरा नम्बर 180 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0. 1214 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या नया 102 के वर्तमान खसरा नम्बर 305 रकबा 1.3834 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 82 के वर्तमान खसरा नम्बर 158 रकबा 2.1519 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट एवं विधिक प्रतिनिधि आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में किसी प्रकार से मदाखलत् उत्पन्न नही करे, प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करें एवं आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत नही करें, वर्णित आराजी में विशिष्ट हिस्से का अन्य दिगर व्यक्ति / अजनबी व्यक्ति को विधिक विभाजन नहीं हो जब तक बैचान, हस्तानान्तरण, रहन नहीं करने हेतु अर्थात मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 15.10.2024 तक बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 से 29, 33 व 34 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 06.04.2025 तक बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 30, 31, 32 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

दिनांक 06.01.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी के विभाजन तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी द्वारा मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र में सहमति का जवाब पेश किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

म दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 सहखातेदार है एवं विभाजन ा डिक्री जारी कर दी की गई है, धारा 53 राज.का.अधि. के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का दग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— प्रार्थना पत्र संस्थन के समय से आदिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं करने पर किसी प्रकार का अन्तरण नहीं किया गया है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा गवाह पेश नहीं किया गया जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी से अपूरणिय क्षति कारित हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज़. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)